

**अनुदान संख्या 26 – इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**  
**GRANT No. 26 - MINISTRY OF ELECTRONICS**  
**AND INFORMATION TECHNOLOGY**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत—
		Total grant or appropriation	Actual expenditure	Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित—	Charged-			
पूरक	Supplementary	36,67,00	36,67,00	36,66,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-90
				शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	3690,00,00		
			3799,57,00	3783,12,30
पूरक	Supplementary	109,57,00		-16,44,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	349,00,00		
			349,01,00	219,75,64
पूरक	Supplementary	1,00		-129,25,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			108,50,00

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत हिस्से में, कुल बचतें (₹1644.70 लाख) जुलाई, 2017, दिसम्बर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹10957.00 लाख के पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत एवं कुल स्वीकृत प्रावधान का लगभग 1 प्रतिशत थीं।

**Notes and comments**

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹1644.70 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grants of ₹10957.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and nearly 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services			
मू.	O.	87500.00		
पू.	S.	850.00	100650.00	100433.44
पु.	R.	12300.00		-216.56
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	26100.00	..	..
पु.	R.	-26100.00	..	..
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"			
उद्योग	Industries			
मू.	O.	255100.00		
पू.	S.	10107.00	279307.00	277878.86
पु.	R.	14100.00		-1428.14
मुख्य शीर्ष "3453"	Major Head "3453"			
विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion			
मू.	O.	300.00	..	..
पु.	R.	-300.00	..	..

(I) ₹26400.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत चार मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “2552”

(क) “दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग – इलेक्ट्रानिकी” –

(i) “डिजिटल भारत कार्यक्रम” – ₹16700.00 लाख;

(ii) “नियामक प्राधिकरण” – ₹400.00 लाख; और

(ख) “सचिवालय आर्थिक सेवाएं – सचिवालय – राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र” – ₹9000.00 लाख ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों को पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(खा) मुख्य शीर्ष “3453” – “निर्यात संवर्द्धन तथा बाजार विकास के लिए सहायता- सीएसटी प्रतिपूर्तियां” – ₹300.00 लाख – भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्रों से लंबित सीएसटी प्रतिपूर्ति बिलों के ब्यौरे प्राप्त न होने के कारण ।

(II) मुख्य शीर्ष “2852” – “दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग – इलेक्ट्रानिकी – डिजिटल भारत कार्यक्रम” – के अंतर्गत ₹120122.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹10106.50 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹130228.50 लाख कर दिया गया जो, तथापि, विज्ञापन एवं प्रचार/व्यावसायिक प्रभारों तथा प्रकाशनों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, इलेक्ट्रानिकी तथा आईटी हार्डवेयर उद्योगों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने कारण ₹6910.99 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ।

(I) Provision of ₹26400.00 lakhs remained wholly unutilised in four cases under the following major heads:-

(A) Major Head “2552”-

(a) “Telecommunication and Electronics Industries – Electronics”-

(i) “Digital India Programme” – ₹16700.00 lakhs;

(ii) “Regulatory Authorities”- ₹400.00 lakhs; and

(b) “Secretariat Economic Services – Secretariat - National Informatics Centre” – ₹9000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head “3453” - “Assistance for Exports Promotion and Market Development - CST Reimbursements” - ₹300.00 lakhs - due to non-receipt of details of pending CST reimbursement bills from Software Technology Parks of India centres.

(II) Under Major Head “2852” - “Telecommunication and Electronics Industries - Electronics - Digital India Programme” - the original provision of ₹120122.00 lakhs was augmented to ₹130228.50 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10106.50 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹6910.99 lakhs - due to requirement of less funds towards advertising and publicity/professional charges and publications, non-receipt of viable proposals from Electronics and IT Hardware Industries and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय” – के अंतर्गत ₹1985.43 लाख की बचत (₹10500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम एएमसी बिल प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों पर कम निधि की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2852” – “दूर संचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग” – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई:-

(का) “इलेक्ट्रानिकी – नियामक प्राधिकरण” – ₹3245.80 लाख की बचत (₹15048.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, साइबर अपीलीय प्राधिकरण का टेलीकाम विवाद समाधान एवं अपीलीय अधिकरण के साथ विलय होने के कारण उसके द्वारा निधियों की कम आवश्यकता और व्यावसायिकों को भाड़े पर न लिए जाने के कारण हुई।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना— डिजिटल भारत कार्यक्रम” – ₹494.82 लाख की बचत (₹3346.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – डिजिटल भारत कार्यक्रम” – ₹1655.01 लाख की बचत (₹11208.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में की गई कटौती के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹25000.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि मुख्य शीर्ष “2852” – “दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिकी उद्योग – इलेक्ट्रानिकी – स्वायत्त तथा अन्य निकायों को सहायता” के अंतर्गत ₹107.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹24978.48 लाख था।

(III) Under Major Head “3451” – “Secretariat – Ministry of Electronics and Information Technology” - saving of ₹1985.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less AMC bills, less tours undertaken, cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(IV) Under Major Head “2852” – “Telecommunication and Electronics Industries” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Electronics - Regulatory Authorities”- saving of ₹3245.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15048.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds by Cyber Appellate Tribunal owing to its merger with Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal and non-hiring of professionals.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes” – Digital India Programme” – saving of ₹494.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3346.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan – Digital India Programme”- saving of ₹1655.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11208.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. (I) The above savings were partly (₹25000.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹107.00 lakhs under Major Head “2852” – “Telecommunication and Electronics Industries -Electronics - Assistance to Autonomous and Other Bodies”. Actual excess, however, was ₹24978.48 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “3451” – “संबद्ध कार्यालय – राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र” – के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई थीं – ₹14068.87 लाख का अधिक व्यय (₹850.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹77850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, लंबित दावों का समाशोधन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों के उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3451” - “Attached Offices –National Informatics Centre (NIC)” – excess of ₹14068.87 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹77850.00 lakhs including supplementary grant of ₹850.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 7th Central Pay Commission Report, clearance of pending claims and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष “4552” उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4552” Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	2000.00	1.00	..
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	-2000.00		
मुख्य शीर्ष “4859” दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4859” Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries			
मू.	O.	16300.00	7050.00	6278.55
पू.	R.	-9250.00		

कुल अनुदान  
Total grant

वास्तविक व्यय  
Actual expenditure

बचत—  
Saving-  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services
मू.	O. 16600.00
पु.	R. 400.00

17000.00 15697.09 -1302.91

(I) ₹2001.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2017 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹1901.00 लाख मुख्य शीर्ष "4552" - "इलेक्ट्रानिकी - अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹2001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2017) remained wholly unutilised under three heads; of these ₹1901.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" - "Electronics - Other Expenditure" - under the following heads:-

(का) "मशीनरी और उपस्कर" - ₹500.00 लाख - मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण।

(A) "Machinery and Equipments" - ₹500.00 lakhs - due to non-procurement of machinery and equipments and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र" - ₹1401.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण।

(B) "National Informatics Centre" - ₹1401.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4859" - "इलेक्ट्रानिकी - अनुसंधान और विकास" - के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under Major Head "4859"- "Electronics - Research and Development" - savings occurred under the following heads:-

(का) "एसटीक्यूसी के लिए भूमि और भवन" - ₹239.32 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसटीक्यूसी केंद्र अगरतला और बेंगलूरु में विद्युतीय और रख-रखाव कार्य का क्रियान्वयन न होने के कारण हुई।

(A) "Land and Buildings for STQC" - saving of ₹239.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-execution of electrical and maintenance works in STQC centres at Agartala and Bengaluru.

(खा) “एसटीक्यूसी और अन्य परियोजनाओं के लिए मशीनरी और उपस्कर” – ₹2881.13 लाख की बचत (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की कम अधिप्राप्ति, परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने, निविदा प्रक्रिया में विलंब तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन चरण में की गई कटौती के कारण हुई।

(गा) “इलेक्ट्रानिकी तथा आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्द्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ तथा क्लस्टर विनिर्माण)” – ₹6901.00 लाख की बचत (₹12000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजनाबद्ध कार्यों का निष्पादन न होने तथा तकनीकी औपचारिकताओं के कारण इलेक्ट्रानिकी विकास निधि में निवेश न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “5475” – “मशीनरी और उपस्कर – राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र” – के अंतर्गत ₹902.91 लाख की बचत (₹16600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ओडिशा डेटा केंद्र से मुख्य कार्यों के लिए बिलों के प्राप्त न होने तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(B) “Machinery and Equipments for STQC and other Projects” - saving of ₹2881.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs) was due to procurement of less machinery and equipments, non-finalisation of projects, delay in tender process and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) “Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Cluster Manufacturing)” - saving of ₹6901.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was due to non-execution of planned works and non-investment in Electronics Development Fund owing to technical formalities.

(III) Under Major Head “5475” - “Machinery and Equipments - National Informatics Centre” - saving of ₹902.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16600.00 lakhs) was due to non-receipt of bills towards major works from Odisha Data Centre and requirement of less funds by Central Public Works Department.